डा॰ नारायण सिंह मानकलाव: महोदय, माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के ''क'' भाग में मंत्री जी से पूछा था कि जो तीन तरह की व्यवस्थाएं हैं, उनमें किस-किस के क्या-क्या अधिकार हैं, इस बारे में मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि तीनों तरह की व्यवस्था में आपस में समन्वय की कमी है। क्या उस संबंध में किसी प्रकार का मूल्यांकन किया गया है जिससे यह मालूम पड़े कि पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में तारतम्य न होने के कारण काम में बाधाएं आ रहीं हैं? क्या इस तरह का मूल्यांकन किया गया है और किया गया है तो उसका क्या परिणाम है?

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, धारा 243 (जी) में बताया गया है कि हर राज्य को तय करना है कि हर राज्य में किस प्रकार का सुपुर्दगीकरण होगा। इस सिलसिले में कुछ राज्य बहुत आगे बढ़ गए हैं और कुछ राज्य हैं जिन को और आगे बढ़ना चाहिए। हर राज्य में परिस्थिति समान नहीं है लेकिन जो अच्छे उदाहरण हमारे पास हैं उनको हमने दूसरों के सामने पेश किया है और उनसे अनुरोध किया है कि वह भी इस प्रकार का विचार करें कि क्या वहां की प्रणाली को बेहतर किया जा सकता है। महोदय, जहां तक समन्वय का सवाल है, यह किसी समिति के द्वारा नहीं किया जा सकता है यह activity-mapping के जरिए किया जा सकता है ताकि हर अधिकार के बारे में स्पष्ट बताया जाए कि उस अधिकार का पालन ग्राम पंचायत करेगी या मध्य-पंचायत करेगी या कि जिला परिषद करेगी। क्योंकि मैं एक्टिविटी मैपिंग को पंचायती राज की बुनियाद समझता हूँ, हमने सब को बुलाकर यह तय किया है कि इस वित्तीय साल के अंदर हर राज्य में यह होना चाहिए और टैक्निकल असिस्टेंस हम दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस वित्तीय साल के अन्दर होगा, लेकिन इस साल के अंदर होने की उम्मीद मैं रखता हूँ।

MR. CHAIRMAN: Next question 285.

तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल/डीजल की कीमतों में संशोधन किए जाने की मांग

*285. **श्री राम जेठमलानी:**
श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा:†

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 2005 में देश में तेल कंपनियो ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने के लिए सरकार से स्वीकृति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

---

†सभा में यह प्रश्न श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा द्वारा पूछा गया।

(ग) क्या सरकार तेल कंपनियों की मूल्य-वृद्धि की मांग को न्यायोचित मानती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ङ) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) से (ङ) वर्ष 2004-05 में, हाल के समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई। 2003-04 के दौरान 27.98 अमरीकी डालर/बैरल के औसत भारतीय बास्केट क्रूड मूल्य की तुलना में 2004-05 (अप्रैल, 2004-जनवरी, 2005) के दौरान औसत मूल्य 37.87 अमरीकी डालर/बैरल रहा है। फरवरी और मार्च के पहले पखवाड़े के दौरान यह क्रमश: 42.67 अमरीकी डालर/बैरल और 48.98 अमरीकी डालर/बैरल तक ऊंचा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सा॰वि॰प्र॰) मिट्टी तेल, घरेलू एलपीजी, डीजल और पेट्रोल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि का भार उपभोक्ताओं पर न पड़ने देने के लिए यह निर्णय लिया गया कि भार सरकार और तेल कंपनियों द्वारा समान रूप से वहन किया जाना चाहिए। इस प्रकार सरकार ने 16.6.2004 से पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी पर उत्पाद शुल्क घटाकर क्रमश: 4% रु॰, 3% और 8% कर दिया। इसके अलावा 19.8.2004 से पेट्रोल, डीजल और सा॰वि॰प्र॰ मिट्टी तेल पर उत्पाद शुल्क कम करके क्रमश: 3% , 3% और 4% कर दिया। सरकार ने 19.8.2004 से पेट्रोल, डीजल,सा॰वि॰प्र॰ मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी प्रत्येक पर भी सीमा शुल्क 5% तक घटा दिया। 2005-06 के बजट में अन्य बातों के साथ-साथ 1.3.2005 से निम्न परिवर्तनों की घोषणा की गई है:

सीमा शुल्क

- क्रूड पर सीमा शुल्क 10% से कम करके 5% करना।
- घरेलू एलपीजी और सा॰वि॰प्र॰ मिट्टी तेल पर सीमा शुल्क 5% से कम करके शून्य करना।
- अन्य पेट्रोलियम उत्पादों में सीमा शुल्क 15% - 20% से कम करके 10% करना।

उत्पाद शुल्क

- घरेलू एलपीजी पर उत्पाद शुल्क 8% से कम करके शून्य करना और सा॰वि॰प्र॰ मिट्टी तेल पर 12% से शून्य करना।

इन राजकोषीय उपायों के अलावा, निम्नलिखित प्रशासनिक उपाए किए गए हैं-

(1) सा०वि०प्र० मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी राजसहायता प्राप्त उत्पाद हैं। सरकारी राजसहायता के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां इन उत्पादों के घरेलू उपभोक्ता मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में पूरी वृद्धि अंतरित न करते हुए भार वहन कर रही है। इसके प्रति अल्प वसूलियां वर्तमान राजकोषीय वर्ष 2004-05 में लगभग 18000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(2) सा०वि०प्र० मिट्टी तेल के मूल्य में अप्रैल 2002 से कोई वृद्धि नहीं हुई हैं, डीजल और एलपीजी के मूल्य 4/5 नवम्बर 2004 की मध्य रात्रि से स्थिर कर दिए गए हैं और पेट्रोल के मूल्य 14/15 नवम्बर 2004 की मध्य रात्रि से स्थिर कर दिए गए हैं।

जहां तक तेल विपणन कंपनियों द्वारा भार वहन करने का संबंध है, उन्होंने इन उत्पादों के घरेलू उपभोक्ता मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में पूरी वृद्धि अंतरित नहीं की है। देश में पेट्रोल और डीजल के मूल्य आयात समता के सिद्धांत पर नियत किए जाते हैं। 1 अप्रैल 2004 से 15 मार्च 1005 की अवधि के लिए पेट्रोल ओर डीजल के मूल्यों में संशोधन न करने के कारण तेल विपणन कंपनियों की कुल अल्प वसूलियां 1526 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

2004-05 के दौरान पेट्रोल, डीजल, सा०वि०प्र० मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के लिए मूल्य निर्धारण प्रणाली ने विभिन्न पणधारकों नामत: उपभोक्ताओं, सरकार और तेल कंपनियों के हितों को संतुलित करने का प्रयास किया है। तेल कंपनियों द्वारा वहन किया गया भार नि:संदेह इस सीमा तक जाएगा कि घरेलू मूल्यों में तब ऊर्ध्वमुखी संशोधन न किया जाए जब अंतराष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि हो, पर यह आशा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिर हो जाते हैं, तब मूल्य श्रृंखला प्रणाली बहाल की जा सकती है, इस प्रकार तेल कंपनियों पर अल्प-वसूलियों का भार कम हो जाएगा।

Oil companies' demand for revision in prices of petrol/diesel

†*285. SHRI RAM JETHMALANI:
SHRI RAJ MOHINDER SINGH MAJITHA:††

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Oil companies have sought the approval of Government for increasing the prices of petrol and diesel in the country in March, 2005;

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Raj Mohinder Singh Majitha.

(b) if so, the reaction of Government in this regard;

(c) whether Government consider the demand for price hike made by the oil companies justified;

(d) if so, the reasons therefor; and

(e) the action Government propose to take in the matter?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI MANI SHANKAR AIYAR): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) to (e) The year 2004-05 witnessed the highest rise in oil prices international markets in recent times. As compared to the average Indian basket crude price of US$ 27.98/barrel during 2003-04, the average price during 2004-05 (April 2004-January 2005) has been US$37.87/barrel. During February and first fort night of March it has been as high as US$42.67/ barrel and US$48.98/barrel respectively. With a view to containng the burden of the increase in international prices on consumers of PDS kerosene, domestic LPG, diesel and petrol, it was decided that the burden should be equitably shared also by the Government and Oil Companies. Thus, Government reduced the excise duty on petrol, diesel and domestic LPG by 4%, 3% and 8%, resepectively effective 16.6.04. Further, effective 19.8.04, the excise duty on petrol, diesel and PDS Kerosene was reduced by 3%, 3% and 4% resepctively. The Government also reduced customes duty by 5% each on petrol, diesel, PDS Kerosene and Domestic LPG with effect from 19/8/04. In the Budget 2005-06, the following changes have, *inter alia,* been announced effective 1.3.2005:

Customs Duties

- Reduction in customs duty on crude from 10% to 5%
- Reduction in Customts duty on domestic LPG and PDS Kerosene from 5% to nil.
- Reduction in customs duty on other petroleum products were from 15% - 20% to 10%.

Excise Duties

– Reduction in excise duty on Domestic LPG from 8% to nil and on PDS Kerosene from 12% to nil.

In addition to these fiscal measures, the following administrative measures have been taken:

(i) PDS kerosene and domestic LPG are subsidized products. In addition to Government subsidy, public sector Oil Marketing Companies (OMCs) have been sharing the burden by not passing the full increase in the international prices in the domestic consumer prices of these products. Under-recoveries on this account are estimated around Rs. 18,000 crore in the current fiscal year, 2004-05.

(ii) There has been no increase in the price of PDS kerosene since April, 2002; Diesel and LPG prices have been frozen since midnight of 4/5 November 2004, and petrol since midnight of 14/15 November, 2004.

As regards burden sharing by Oil Marketing Companies (OMCs) they have not passed on the full increase in the international prices in the domestic consumer prices of these products. The prices of petrol and diesel in the country are fixed on the principle of import parity. The total under-recoveries to OMCs due to non-revision of prices of petrol and diesel for the period 1st April, 2004 to 15th March, 2005 are estimated at Rs. 1526 crore.

The pricing mechanism for petrol, diesel, PDS Kerosene and Domestic LPG during 2004-05 has attempted to balance the interests of various stakeholders, *viz.*, Consumers, Government and oil companies. The burden borne by oil companies will, of course, go up to the extent that domestic prices are not revised upwards when international prices shoot up, but it is hoped that when international prices stabilise the price band mechanism might be restored, thus moderating the burden of under-recoveries on oil companies.

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा: रेस्पेक्टेड चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब से यह इन्फॉर्मेशन चाहूंगा कि इंटरनेशनल मार्केट और हमारे देश में क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार चढ़ती रहीं, परन्तु अक्टूबर से मार्च तक क्रूड आयॅल की कीमतों में कुछ कमी

आई और 40 डालर हो गई है, किन्तु देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं की गई। आज जब क्रूड ऑयल की कीमतें पुराने लेवेल पर आ गई हैं तो सरकार और तेल कम्पनीज़ कीमतें बढ़ाने की बात कर रहीं हैं। मेरा प्रश्न यह है कि जब कीमतें कम होती हैं तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्यों नहीं घटाई जाती हैं?

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, मैं यह स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि हालांकि हमारी तेल कम्पनियों ने हमारे सामने यह मांग अवश्य रखी है कि तेल के दाम, जो उनके पदार्थ हैं, उनके दाम बढ़ाएं जाएं। सरकार ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। पिछले नवम्बर महीने से लेकर न पेट्रोल और न डीजल का दाम बढ़ाया गया है। जहां तक एल॰पी॰जी॰ की कीमतों का सवाल है, पिछले साल अगस्त महीने में कुछ बढ़ाया गया था, लेकिन उसके पश्चात् नहीं और जहां तक केरोसीन का दाम है, वह पहली अप्रैल, 2000 से लेकर आज तकरीबन पांच साल हो गए हैं, उसका दाम नहीं बढ़ाया गया है। समझने वाली बात यह है कि 70 प्रतिशत कच्चे तेल का आयात हमारे देश में होता है। उस तेल का दाम कुछ दो साल पहले ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: मंत्री महोदय कभी-कभी मुझे भी देख लिया करें। ...(व्यवधान)...

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, उस तेल का दाम जो कोई 25 डालर प्रति बैरल हुआ करता था, अब वह 57 डालर तक पहुंच गया है, जो लाजिमी है कि सरकार को इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है। विचार कर रहीं हैं।

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा: महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी यह है कि रेल मंत्री ने अपने बजट में पेट्रोल और डीजल पर किराया कम करने की बात कही थी। मैं मिनिस्टर साहब से इन्फॉर्मेशन चाहूगा कि क्या कमी होगी और किराए की इस कमी के कारण पेट्रोलियम पदार्थों और डीजल की कीमतें घटाई जाएंगी या नहीं घटाई जाएंगी?

श्री मणि शंकर अय्यर: माननीय सदस्य को स्मरण होगा कि पिछले जुलाई महीने से मंत्रिमंडल की तरफ से यह तय किया गया था कि जब सामान्य स्थिति रहती है, कच्चे तेल के बाजार में तब 10 प्रतिशत के बैंड के अंतर्गत ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को छूट दिया जाएगा कि जब दाम बढ़ता है तो वे अपने पदार्थों का दाम बढ़ाएं और जब दाम घटता है तो वे पदार्थों का दाम घटाएं। लेकिन उस बैंड को हमने स्थापित करने के पश्चात् एक महीने के अन्दर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतनी वॉलेट्लिटी हुई, दाम इतने ऊपर-नीचे बदलते गए कि तब से लेकर आज तक हम उस बैंड को पुन: स्थापित नहीं कर पाए हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक प्रकार की स्थिरता दोबारा आ जाए, तब हम उस बैंड मैकेनिज़्म पर वापस जा पाएंगे और जब हम जाते हैं तो माननीय सदस्य देखेगे कि जब अंतर्राष्ट्रीय तेल का दाम घटता है तो यहां पदार्थों का दाम घटने की भी संभावना है और जब बढ़ता है तो पदार्थों के दाम को बढ़ाने की संभावना है।

DR FAROOQ ABDULLAH: Sir, I would like to put a very straight question to the hon. Minister Sir, States like Jammu and Kashmir are totally dependent on road transport and we do know, at least we do expect, that you are going to increase the prices of petroleum products, as it is governed by the world market. It will be done post-Parliament recess or after the Parliament session is over, so that shouts will not be there. I would like to know from the hon. Minister, is it possible for the States like Jammu and Kashmir and many other hilly States, that are dependent on road transport, to get some concession in diesel, in particular, since most of our goods are carried by road transport and the price increase is so heavy that many of our poor people suffer because of this? Is there a possibility of doing something like that?

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Sir, at present, there is a provision for the sensitive petroluem products, delivered in the North-East including Sikkim, to be given at a price which is marginally lower than what it is for the rest of the country. The suggestion that Jammu and Kashmir should be included in this category could be considered, but I think, the hon. Member would have to recognise that even if Jammu and Kashmir is wholly dependent on road transport, in much of the rest of the country there is a very high dependence on road transport. It is keeping that in view, and also keeping in view the need to contain the inflationary pressures, consequent upon raising the price of diesel, that we have exercised the utmost restraint over the last several months, and the consequence of this has been huge under-recoveries to our oil-marketing companies which is cost-affecting their ability to invest in our future, in our children's future. So, we have to take all these elements into account in determining what is to be done with the prices of sensitive petroleum products. The suggestion that has been given with regard to Jammu and Kashmir has been considered in the past, has not been accepted in the past, but as it is being raised once again by so distinguished a Member as a former Chief Minister on several occasions of the State of Jammu and Kashmir, I assure him we will consider it but I equally assure him that I rather despair of getting the results that came and, perhaps, I would like to get.. *(Interruptions)*...

श्री राजू परमार : चेयरमैन साहब, माननीय मंत्री जी ने बताया कि इंडिया का इम्पोर्ट 70 परसेंट होने जा रहा है और नियर फ्यूचर में it is going to be around 85 per cent. Sir, through

you, I would like to know from the Hon. Minister what action our Ministry is initiating to increase local production of petroleum products?

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, I have given a very detailed answer to this question in the past, but very, very briefly, under our New Exploration Licensing Policy, the fifth round of which is currently on, we have succeeded in greatly increasing the amount of investment that is taking place in the exploration and production sector. I am glad to say that much of this is now taking place in the shape of joint ventures between Indian public and private sector firms, and foreign firms. All this gives us considerable hope that the kind of discoveries made by Cairn in Barmer, for example, or by Reliance, NALCO, and now ONGC in their Krishna-Godavari basin, for example, will be replicated in a large number of other places, and that the domestic production of oil will rise. The Hydro Carbon Vision 2025 envisages an increase from the present level of about 33 million tonnes to about 50 million tonnes.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE : Sir, as I could understand, while replying to the first supplementary, the hon. Minister said, the Government at present is not considering any price rise in spite of the fact that the crude oil price has gone beyond $ 50 per barrel.My only question to the hon. Minister is this. Right after the Budget, there have been a lot of speculative reports in the Press regarding the price-rise, in spite of the fact that the Finance Minister was very clear that so far as the increase in excise duty and the decrease in import duty are concerned, everything will be revenue neutral. I would like the Government to assure that there is no difference of opinion on these issues. So far as duties are concerned, it will be totally revenue neutral.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, I have no doubt that the hon. Finance Minister was absolutely right in saying that the changes he has propossed are revenue-neutral. But he was referring to his revenues; He was not referring to my revenues. My revenues have certainly been seriously affected by his revenue-neutral proposals, and I have to give this clarification that I said that the prices had not been raised since November, despite the great increase in international prices. What I had not said is that the Government is not considering a revision. I am saying, the issues are before the Government and we have them under review. We will see what we do.